न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या – 55/2013

तारीख दायरा – 15/04/2013

वादीगण :–

मृतक पेपसिंह पुत्र विरदसिंह जी के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण –

1. रघुवीरसिंह पुत्र पेपसिंह जी राजपूत
2. गजीया कुंवर पत्नी पेपसिंह जी जाति राजपूत

तमाम निवासी गुडा देवडा मेडतियान तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला पाली (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार माली, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री कैलाश इनाणिया नायब तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 29/9/2021

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी[illegible] की ओर से वाद विरूद्ध प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) दीवानी [illegible] के साथ इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा [illegible] जिला पाली (रा[illegible] सीमा क्षेत्र के पुराने खसरा नम्बर 3 रकबा 62 बीघा 19 बि[illegible] किस्म बारानी की [illegible]मि को

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश क्रमांक / रेवेन्यु / 475 दिनांक 11.07.1980 को नियमन करके वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंह जी राजपूत के खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज की गई थी, जिसका भू–अधिकारी अभिलेखो मे नामांतरकरण संख्या 670 दिनांक 09.06.1981 के जरिये इन्द्राज किया जाकर बतौर खातेदार वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वदरसिंह जी राजपूत के नाम की दर्ज की गई थी। प्रमाण स्वरूप नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 09.06.1981 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा संख्या 3 के नये खसरा संख्या 39/1502 क्षेत्रफल 03.0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम बताये गये। प्रमाण मे मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

वादीगण के पिता/पति पेपसिंहजी का निर्वसोयती स्वर्गवास के बाद वादीगण पुत्र पत्नी को बराबर बराबर हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार निहित हुए है। वादीगण बतौर खातेदार पुराने खसरा नम्बर 3 के नये खसरा नम्बर 39/1502 क्षेत्रफल 03.0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि जो वाद के साथ संलग्न नक्शे मे बरंगलाल से दर्शित क्षेत्रफल 1.0100 हैक्टर (6 बीघा 6 बिस्वा) भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रह है।

दौराने सेटलमेन्ट कार्यक्रम सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो द्वारा वादीगण के हक अधिकार की वादग्रस्त कृषिभूमि को वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंहजी राजपूत के खातेदारी हक अधिकार मे दर्ज करके खतोनी बंदोबस्त जारी करनी थी लेकिन सेटलमेंट विभाग के अधिकारीगण के द्वारा सेवन और भूल के कारण वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंह जी राजपूत के खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज नही कर प्रतिवादी राज्य सरकार के सिवायचक खाते मे इन्द्राज कर दी गई जबकि वादग्रस्त आराजी को वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंह राजपूत के नाम नियमन की जाकर खातेदारी मे दर्ज करने से लेकर वादीगण आज तक बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त करते आ रहे है।

वादीगण ने किसान कार्ड बनवाने के लिये वादग्रस्त आराजी के भू अधिकार अभिलेखो की प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने के लिये पटवारी हल्का बागोल से सम्पर्क किया तो जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की इन्द्राज नही होकर भू अधिकार अभिलेखो मे सिवायचक खाते मे इन्द्राज है। जिस पर प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि पटवारी हल्का वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकिया देते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी मे निहित खातेदारी हक अधिकारो को चुनौती दी। जिससे वादीगण के पास वादग्रस्त आराजी मे विहित खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा और सुरक्षा के लिये वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई सहारा नही होने से वादीगण का यह वाद बाबत वादीगण की खातेदारी भूमि को वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंह जी के खाते से हटाई जाकर प्रतिवादीगण के खाते मे इन्द्राज करने की भूल को [illegible] करने और पुनः वादग्रस्त आराजी को वादीगण के खातेदारी की दर्ज करने, तथा खा[illegible] अधिकार की घोषित करने के लिये वाद अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादीगण के प्रतिनिधिगण द्वारा वर्तमान मे वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने, धोरापाली हटाने की धमकियां दी जा रही है, बेदखल करने पर आमादा होने से वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने से रोकने के लिये यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम मे भी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाकर दो माह की अवधि के बाद वाद प्रस्तुत करना होता है लेकिन प्रतिवादी और उनके प्रतिनिधियो द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने से बार बार धमकियां देने से वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् आवश्यक प्रकृति का होने से अन्तर्गध धारा 80 (2) दी.प्र.स. मे छूट प्राप्त करते हुए बाद अनुमति के यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने के लिये प्रतिवादी और उनके प्रतिनिधियो द्वारा दिनांक 08.03.2013 व उसके बाद लगातार धमकियां देने तथा राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम का इन्द्राज नही करने से बिनायवाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बमुकाम बागोल प्राप्त हुआ है।

प्रतिवादी व उनके प्रतिनिधियो द्वारा बेदखली की धमकियॉ देने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने के लिये सम्पर्क करने पर जानकारी मे आया कि वादीगण का राजस्व अभिलेखो मे नाम नही होने की जानकारी वर्तमान मे होने से वाद अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत है।

वादीगण ने उपरोक्तानुसार वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम का अनुतोष चाहते हुए वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री निम्न सादिर हेतु निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा गांव बागोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) स्थित खसरा नम्बर 39/1502 क्षेत्रफल 03. 0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि मे से वाद के संलग्न नक्शे मे बरंगलाल से दर्शित क्षेत्रफल 1.0100 हैक्टर (6 बीघा 6 बिस्वा) वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते से हटाई जाकर सेटलमेन्ट से पूर्व की भांति वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदसिंहजी का स्वर्गवास होने से वादीगण के संयुक्त खातेदारी मे इन्द्राज कर वादीगण के खातेदारी हक अधिकार की घोषित की जावे। वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर देय लगान कायम किया जावे। वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने से प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जावे।

वादि वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न राज[illegible]लेख, दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 व 2072 [illegible] के आदेश क्रमांक / रेवेन्यु/475 दिनांक 11.07.1980 के [illegible] कृषि भूमि पुराने ख.न. 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा को रेकर्ड मे अमलदरामद करने की प्र[illegible] नियमन सुदा भूमि का भरा गया

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नामान्तरकरण संख्या 670, दिनांक 09.06.1981 की सत्य प्रतिलिपि, पुराने ख.न. 3 के नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बागोल की प्रमाणित प्रतिलिपि, नया नक्शा की शीट मूल एवं फोटो प्रति नये ख.न. बरंगलाल से दर्शित भूमि, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का बागोल दिनांक 13.06.2016 बाबत् पेपसिंह पुत्र विरदसिंह राजपूत की मृत्यु होने से वादीगण पुत्र रघुवीरसिंह, पत्नी गजीया कुंवर मौके पर काबिज होने, खसरा परिवर्तनशील की फोटो प्रतियॉ संवंत् 2019 से 2031 व 2062 से 2064 की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपियॉ, पेपसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई।

वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई।

1. तनकी नम्बर 1 : आया वादी वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 03 मीन रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 39/1502 के क्षेत्रफल 1.0100 हैक्टर भूमि का खातेदार है – जिम्मे वादी
2. तनकी नम्बर 2 : आया प्रतिवादी हाल खसरा नम्बर 39/1502 गत खसरा नम्बर 3 से बनना अस्पष्ट है। जिम्मे प्रतिवादी।
3. अनुतोष :

तनकियात विवेचित के पश्चात् साक्ष्य वादी रघुवीरसिंह पुत्र पेपसिंह एवं गजीया कुंवर पत्नी पेपसिंह राजपूत साकिन गुडा देवडान के संयुक्त बयान लिये गये। वादी ने अपने बयान मे बताया कि मौजा ग्राम बागोल के पुराने ख.न. 03 रकबा 62 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी भूमि मे से 6 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि पिताजी पेपसिंहजी को नियमन हुई थी। सेटलमेन्ट का कार्य भी शुरू हो गया था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूलवश पिता के नाम इन्द्राज नही कर सिवायचक खाते मे इन्द्राज कर दी गई। उक्त भूमि 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करावे।

साक्ष्य प्रतिवादी के तौर पर पटवारी हल्का बागोल के बयान लिये गये। पटवारी के बयान अनुसार पुराने ख.न. 3 रकबा 62.19 बीघा बारानी मे से नियमन क्रमांक 475/11.04. 1980 मे हुई थी। जिसमे नामांतरकरण संख्या 670 दि. 09.06.1981 खोला गया। सेटलमेन्ट कार्यवाही होने से जमाबंदी ले ली गई। जिससे अमलदरामद नही हुआ है। वादीगण आज भी काबिज है। सेटलमेन्ट विभाग ने नये खसरा नं. 39/1502 रकबा 3.07 हैक्टर किस्त बारानी दोयम बताये गये।

वाद के तनकियात अनुरूप निर्णय निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1 : यह तनकी वादी को तय करनी है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बागोल के पुराने ख.न. 3 मीन रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि को आदेश क्रमांक / 475 दिनांक 11.07. 1980 के नियमन होकर वादीगण के पिता पेपसिंह पुत्र वरदरसिंहजी राजपूत के नाम नामांतरकरण संख्या 670 दिनांक 09.06.1981 के राजस्व रेकर्ड मे खातेदार अंकित किया गया। सेटलमेन्ट द्वारा पुराने खसरा नम्बर 3 के नये ख.न. 39/1502 रकबा 03.0700 हैक्टर बताये गये जो मिलन क्षैत्रफल से स्पष्ट मिलान होता है कि पुराने खसरा नम्बर 3 मील रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा न. 39/1502 ... वादी की साक्ष्य एवं प्रतिवादी पटवारी हल्का की साक्ष्य अनुरूप स्पष्ट प्रतीत होता है कि बागोल के पुराने ख.न. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रकबा 62.19 बीघा मे से आदेश क्रमांक /475 दिनांक 11.07.1980 मे नियमन होने से नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 09.06.1981 के खोला गया। पेपसिंह वरदसिंह को खातेदार अंकित किया गया। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही हुआ है। सेटलमेन्ट विभाग ने नये ख.न. 39/1502 रकबा 3.07 हैक्टर किस्म बा.दो. बनाये गये है। बयान हल्का पटवारी अनुसार मौके पर वादी/प्रार्थी आज भी काबिज है। एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 के अनुरूप ख.न. 39/1502 रकबा 03.07 हैक्टर भूमि पेपसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत निवासी गुडा देवडान मेडतियान के नाम से नियमन हुई थी। पेपसिंह के स्वर्गवास होने पर इनके वारिसान के नाम रघुवीरसिंह पुत्र पेपसिंह व गजीयाकुंवर पत्नी पेपसिंह का मौके पर आज दिन तक काबिज है। भूमि बेचान नही की गई है।

वादीगण ने खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2019 से 2031 तक तथा सम्वत् 2062 से 2064 की वकते नकले प्रस्तुत की है जिससे भी यह प्रतीत होता है कि वादीगण का कब्जा कास्त है।

उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि वादीगण के पिता को भूमि नियमन हुई है। पिता पेपसिंह की मृत्यु पश्चात् वादीगण का कब्जा काश्त भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित होता है।

सेटलमेन्ट विभाग को गत खसरा नम्बर से बनाये नये खसर नम्बर 39/1502 रक्बा 03.0700 हैक्टर मे खातेदारी की पेपसिंह पुत्र वरदसिंहजी के नाम दर्ज कर खतौनी बंदोबस्त जारी करनी थी। जो नही की जाकर सेवन व भूलवश सिवाय चक खाते मे इन्द्राज कर दी गई। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नही है। वादीगण का कब्जा कास्त आज तक होने से वादीगण भूमि का खातेदारी पाने के अधिकारी है।

अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :— यह तनकी प्रतिवादी को तय की जानी है। गत खसरा नम्बर 3 का रकबा 62 बीघा 19 बिस्वा है। जो बडा रकबा है जिसमे से वादी को 6 बीघा 6 बिस्वा नियमन हुई है। गत खसरा के नये खसरा नम्बर सेटलमेन्ट विभाग ने 39/1502 रकबा 03.0700 हैक्टर बनाये है। जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट प्रतीत है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत नया एवं पुराने नक्शे से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण का कब्जा कहा दर्शित है। वादीगण ने नक्शे मे बरगैलाल से स्पष्ट दर्शित किया है। जहॉ उसका कब्जा कास्त है एवं वादी पटवारी हल्का के बयान एवं मौका रिपोर्ट से भी उसका कब्जा काश्त होना स्पष्ट साबित होता है। वादीगण का कब्जा नही होता तब गत खसरा नम्बर 3 से नया खसरा नम्बर 39/1502 बनने की अस्पष्टता जाहिर होती। वादीगण ने काश्त व कब्जा बाबत् खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। जिसमे भी हाल खसरा न. 39/1502 गत ख.न. 3 से बनना स्पष्टतया प्रतीत होता है न कि अस्पष्ट।

अतः यह तनकी न. 2 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rai Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—:: आदेश ::—

दोनो तनकिया वादीगण के पक्ष मे निर्णित होने से वाद मे तनकियात अनुरूप निर्णय किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गांव बागोल तहसील देसूरी स्थित खसरा नं. 39/1502 रकबा 03.0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि मे नक्शे मे बरंगलाल से दर्शित रकबा 1.0100 हैक्टर (6 बीघा 6 बिस्वा) भूमि को सिवाय चक खाते से विलोपित की जाकर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी की घोषित की जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की खातेदारी भूमि मे दखल देने से प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा सादिर हो, तहसीलदार देसूरी राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे। नक्शे मे तरमीम करें। निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद व तरमीम हेतु तहसीलदार देसूरी को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बेर से कम हों।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 23/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
बइजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
01. मृतक पेपसिंह पुत्र विरदसिंह के कायम मुकाम वारिसान एवं वैद्य प्रतिनिधिगण:– 01. रघुवीर सिंह पुत्र पेपसिंह राजपूत 02. गजीया कुंवर पत्नी पेपसिंह जाति राजपूत तमाम निवासी गुडा देवडा मेडतियान तहसील देसूरी जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला पाली (राज.)

दावा 88, 188, 92 ए आर.टी. एक्ट — मुकदमा नं. 55 /2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाइल कतई रूबरू हमारे हाजिर श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई व श्री कैलाश ईनाणिया नायब तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म किया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि वाद मे तनकियान अनुरूप निर्णय किया जाकर वाद वादी स्वीकार कर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा गांव बागोल तहसील देसूरी के खसरा नं. 39/1502 रकबा 3.0700 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में नक्शे मे बरंगलाल से दर्शित रकबा 1.0100 हेक्टर (6 बीघा 6 बिस्वा) भूमि को राजकीय सिवायचक खाते से विलोपित की जाकर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी की घोषित की जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण की खातेदारी भूमि में दखल देने से प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। नक्शे मे तरमीम करे [illegible] एवं डिक्री की सत्यापित प्रति मय नक्शा की प्रति राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार देसूरी को भेजी जावे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested